कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ–3/45/2014/10–11/5/2427 भोपाल, दिनांक 11-11-16

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
छतरपुर वृत्त छतरपुर,
मध्यप्रदेश।

विषयः–पन्ना जिले के अंतर्गत मझगांय सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 426.763 हेक्टेयर वन भूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बावत्।

संदर्भः–आपका पत्र क्रमांक/1577, दिनांक 27.10.2016

––0––

विषयांकित आपके उक्त संदर्भित पत्र से प्राप्त प्रस्ताव का ऑनलाईन एवं हार्ड कापी में परीक्षण उपरांत निम्नलिखित कमियां/त्रुटियां पाई गई हैः–

1. ऑनलाईन प्रस्ताव के भाग–1 के बिन्दु क्रमांक B-2.4 में वन भूमि का Component wise उपयोग का विवरण नहीं दिया गया है। पूर्ति करावें।
2. ऑनलाईन प्रस्ताव के भाग–1 के बिन्दु क्रमांक C(ii)(a) में प्रभावित वन भूमि 426.763 हेक्टेयर की KML file स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं हो रही है। पूर्ति करावें।
3. ऑनलाईन प्रस्ताव के भाग–1 के बिन्दु क्रमांक C(iii) एवं C(iv) में सर्वे ऑफ इंडिया की टोपो–शीट एवं जियो रिफरेंस मैप स्पष्ट प्रदर्शित नहीं हो रहा है। पूर्ति करावें।
4. ऑनलाईन प्रस्ताव के भाग–1 के बिन्दु क्रमांक K (i) (a) में एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र कलेक्टर, पन्ना का आदेश दिनांक 02.09.2014 संलग्न किया है, जबकि हार्ड कापी में पृष्ठ नं. 15 एवं 16 पर प्रमाण पत्र कलेक्टर, पन्ना के दिनांक 30.09.2015 एवं 28.09.2015 संलग्न है। यथाअनुसार ऑनलाईन प्रस्ताव के भाग–1 में सहीं प्रमाण पत्र संलग्न करावें।
5. ऑनलाईन प्रस्ताव के भाग–1 के बिन्दु क्रमांक L(iv) में गैर वन भूमि के संबंध में दो टेबिलों में जानकारी दी गई है जो उचित नहीं है। कलेक्टर, जिला पन्ना के पत्र क्रमांक/643/भूअर्जन/2014, दिनांक 26.09.2014 द्वारा मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना के लिये 427 हेक्टेयर गैर वन भूमि आवंटित की गई है। अतः एक टेबिल में ही (a) से (f) तक की जानकारी सही–सही भाग–1 में भरवाई जावे। कलेक्टर, पन्ना के उक्त पत्र को (f) कॉलम में स्केन कराकर संलग्न कराया जावे।
6. ऑनलाईन प्रस्ताव के भाग–1 के बिन्दु क्रमांक L(v) एवं L(vi) में जियो रिफरेंस मैप एवं सर्वे ऑफ इंडिया की टोपो–शीट स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं हो रही है। सही–सही अपलोड कराई जावें।
7. ऑनलाईन प्रस्ताव के भाग–1 के बिन्दु क्रमांक M(ii)(a) में केचमेंट ट्रीटमेंट प्लान अनुमोदित होने बावत् सक्षम अधिकारी का पत्र संलग्न नहीं है। पूर्ति करावें।
8. ऑनलाईन प्रस्ताव के भाग–1 के बिन्दु क्रमांक M(ii) (b) में अनुमोदित केचमेंट ट्रीटमेंट प्लान की प्रति संलग्न नहीं है। पूर्ति करावें।
9. ऑनलाईन प्रस्ताव के भाग–2 के बिन्दु क्रमांक 11(i) में उल्लंघन होना बताया है किन्तु इसी के बिन्दु (a) में उल्लंघन का विवरण निल बताया है, जबकि उल्लंघन का विवररण दिया जाना है।
10. ऑनलाईन प्रस्ताव के भाग–2 के बिन्दु क्रमांक 13(i) की पेंचवाइज डिटेल में गैर वन भूमि के संबंध में अलग एरिया प्रदर्शित हो रहा है। सही जानकारी अपलोड कराई जावे।

D:\Section F-3.docx

o/c

11. ऑनलाईन प्रस्ताव के भाग–2 के बिन्दु क्रमांक 13(vi) में गैर वन भूमि का उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रदर्शित नहीं हो रहा है। पूर्ति करावें।
12. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/एफ–3/45/2014/10–11/5/816, दिनांक 13.04.2016 से तीन बिन्दुओं की जानकारी चाही गई है। इसके बिन्दु क्रमांक–2 एवं 3 की अद्यतन जानकारी दी जावे।

प्रस्ताव के ऑनलाईन एवं हार्ड कापी में उपरोक्त कमियों/त्रुटियों की पूर्ति कराकर प्रस्ताव ऑनलाईन करते हुये प्रस्ताव की हार्ड कापी तीन प्रतियों में शीघ्र प्रस्तुत करें। प्रस्ताव की हार्ड कापी तीन प्रतियों में वापिस संलग्न हैं।

संलग्नः–**प्रस्ताव की हार्ड कापी**
तीन प्रतियों में।

(सुनील अग्रवाल)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ0 क्रमांक/एफ–3/45/2014/10–11/5/ 2428 भोपाल, दिनांक 11-11-16

प्रतिलिपि–

1. प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग तुलसी नगर (1250) भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. आयुक्त कमांड क्षेत्र विकास, जल संसाधन विभाग, विश्वैश्वरैया भवन, कोलार तिराहे स्थित वन विभाग के रेस्ट हाऊस के पास, एम.ए.सी.टी. रोड़, भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. वन मंडल अधिकारी (सा0) वन मंडल उत्तर पन्ना, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग पन्ना, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

O/C

D:\Section F-3.docx